भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2238
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त , 2026
15 श्रावण, 1948 (शक)

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेलकूद अवसंरचना

2238 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत क्रिकेट एवं फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों पर बल देते हुए देशभर के जिलों में ग्रामीण खेल अवसंरचना को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में युवा खिलाड़ियों, विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वंचित वर्गों से आने वाले खिलाड़ियों की पहचान करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु कौन-सी ग्रामीण खेल पहलें शुरू की गई हैं; और

(ग) क्या औरैया अथवा इटावा में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किसी ग्रामीण खेल अवसंरचना को स्वीकृति दी गई है तथा क्या इन जिलों के आकांक्षी विकास खंडों के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष पहल आरंभ की जाएगी?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण खेल अवसंरचनाओं के विकास, खेल प्रतिभाओं की पहचान एवं पोषण और ग्रामीण, आकांक्षी तथा अन्य क्षेत्रों के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएफएस) को सहायता;
iii. अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं तथा उनके कोच को नकद प्रोत्साहन;

iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम, जिसके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, मांग-आधारित स्कीम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के औरैया एवं इटावा जिलों सहित देशभर में उपलब्ध विभिन्न खेल सुविधाओं जैसे कि खेल अवसंरचनाओं, खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई), खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए) और साथ ही खेलो इंडिया खिलाड़ियों (केआईए) का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in. पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

सरकार खेलो इंडिया प्रतिस्पर्धाओं और इन पहलों, जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण, आकांक्षी तथा वंचित क्षेत्रों सहित देशभर में किया जा रहा है, के माध्यम से युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके विकास में सहायता प्रदान करती है। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित वर्गों सहित जाति अथवा समुदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना स्कीम के प्रचलित दिशा-निर्देशों के आाधार पर योग्यता एवं प्रदर्शन के आधार पर एथलीटों का चयन किया जाता है और उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।
